



कर्मचारी भविष्य निधि संगठन

Employees Provident Fund Organisation

(श्रम एवं रोजगार मंत्रालय, भारत सरकार)

(MINISTRY OF LABOUR & EMPLOYMENT, GOVERNMENT OF INDIA)

मुख्य कार्यालय/Head Office

प्लेट ए, ग्राउंडफ्लोर, ब्लॉक-II, ईस्ट किडवाई नगर, नई दिल्ली-110023

Plate A, Ground Floor, Block II, East Kidwai Nagar, New Delhi-110023

Website: www.epfindia.gov.in, www.epfindia.nic.in



पत्र सं. कभनिसं/भर्ती/डीडी/एडी/ऑडिट/प्रति/2024/ई-849039/2794

दिनांक: 28.04.2025

नियुक्ति प्रस्ताव

विषय: श्री तरुण गोरपड़े, सहायक लेखा अधिकारी, वित्त मंत्रालय, भारत सरकार, व्यय विभाग, महालेखा नियंत्रक भवन, नई दिल्ली को कर्मचारी भविष्य निधि संगठन में प्रतिनियुक्ति के आधार पर उप निदेशक (लेखापरीक्षा) के पद पर नियुक्ति का प्रस्ताव।

कभनिसं में प्रतिनियुक्ति के आधार पर उप निदेशक (लेखापरीक्षा) के पद पर चयन के लिए गठित चयन समिति की अनुशंसा के आधार पर, श्री तरुण गोरपड़े, सहायक लेखा अधिकारी को कर्मचारी भविष्य निधि संगठन में वेतन मैट्रिक्स के लेवल-11 [वेतन बैंड-3 रु. 15600-39100 के साथ ग्रेड वेतन रु. 6600/- (पूर्व संशोधित)] पर उप निदेशक (लेखापरीक्षा) के पद पर प्रतिनियुक्ति आधार पर नियुक्ति का प्रस्ताव जारी किया जाता है, जो में उप निदेशक (लेखापरीक्षा) के पद पर कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से प्रारंभ में तीन वर्ष की अवधि के लिए होगा।

2. प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति की शर्तें एवं नियम इस प्रकार हैं:-

- प्रतिनियुक्ति की शर्तें और नियम दिनांक 05.01.1994, के कार्यालय जापन संख्या 2/229/91-स्था. (वेतन II) दिनांक 17.06.2010 के कार्यालय जापन संख्या 6/8/2009-स्था. (वेतन II) तथा कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय, कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग, भारत सरकार द्वारा समय-समय पर जारी अन्य अनुदेशों/जापन द्वारा शासित होंगे।
- उप निदेशक (लेखापरीक्षा) के रूप में अधिकारी की नियुक्ति आईएपी, मुंबई (बांद्रा) में होगी। तथापि, प्रशासनिक आधार पर अधिकारी को किसी भी अन्य कभनिसं कार्यालय में स्थानांतरित किया जा सकता है।
- वह नियमानुसार टीए/डीए और ज्वाइनिंग टाइम की/का पात्र होगी/होगा।
- पदभार ग्रहण करने की तिथि से तीन वर्ष की समाप्ति पर, प्रतिनियुक्त पर आए अधिकारी को प्रतिनियुक्ति अवधि की समाप्ति की तिथि पर कार्यमुक्त माना जाएगा, जब तक कि सक्षम प्राधिकारी अपेक्षित अनुमोदन के साथ, प्रतिनियुक्ति की अवधि को समाप्ति की तिथि से पूर्व लिखित रूप में विस्तारित न कर दें।
- यदि अधिकारी किसी भी कारण से अधिक समय तक रुकता है, तो उसके विरुद्ध

अनुशासनात्मक कार्रवाई तथा अन्य प्रतिकूल परिणाम हो सकते हैं, जिसमें यह शामिल है कि अनधिकृत रूप से अधिक समय तक रुकने की अवधि को पेंशन के उद्देश्य से सेवा में नहीं गिना जाएगा तथा अनधिकृत रूप से अधिक समय तक रुकने की अवधि के दौरान देय कोई भी वेतन वृद्धि संचयी प्रभाव से उस तिथि तक स्थगित कर दी जाएगी, जिस तिथि को अधिकारी अपने मूल कैडर में वापस ज्वाइन करता है।

3. यदि श्री तरुण गोरपड़े, सहायक लेखा अधिकारी को उपर्युक्त नियमों एवं शर्तें स्वीकार्य हैं, तो वे नियुक्ति के इस प्रस्ताव की प्राप्ति के 10 दिन के भीतर उचित माध्यम से नवीनतम सतर्कता अनापति प्रमाण पत्र के साथ लिखित सहमति इस कार्यालय को भेज सकते हैं।

[सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन से जारी]



(अजय के मेहरा)

अपर के.भ.नि.आ.(भर्ती/परीक्षा)

सेवा में,

श्री तरुण गोरपड़े, सहायक लेखा अधिकारी
(के माध्यम से: वरिष्ठ लेखा अधिकारी (मानव संसाधन 3), वित्त मंत्रालय, भारत सरकार,
व्यय विभाग, लेखा महानियंत्रक, महालेखा नियंत्रक भवन, ई-ब्लॉक, जीपीओ कॉम्प्लेक्स,
आईएनए, नई दिल्ली-110 023)

प्रतिलिपि (कभनिसं वेबसाइट के माध्यम से)-

1. वरिष्ठ लेखा अधिकारी, पीआर सीसीए का कार्यालय, सीबीडीटी (मुख्यालय), 9वीं मंजिल, लोक नायक भवन, खान मार्केट, नई दिल्ली-110003 को सूचनार्थ।
2. आंचलिक लेखा का कार्यालय, सीबीडीटी, 7वीं मंजिल, सीजीओ कॉम्प्लेक्स, ए-विंग, नागपुर-440006 (एम.एच) को सूचनार्थ।
3. केंद्रीय भविष्य निधि आयुक्त के निजी सचिव।
4. वि. सला. एवं मु.ले. अधि./ मु. सत. अधि. के निजी सचिव/सभी अपर क.भ.नि.आ.(मुख्या.) (मुख्यालय और अंचल)/निदेशक, पीडीनाश।
5. सभी अपर क.भ.नि.आ. मुख्यालय/अंचल।
6. मुख्य अभियंता/मुख्य सूचना सुरक्षा अधिकारी।
- 7.क्षे.भ.नि.आ.-I (प्र. से प्र.) और क्षे.भ.नि.आ.-I (एनडीसी) सहित सभी क्षे.भ.नि.आ.-प्रभारी (क्षे.का.)।
8. मुख्यालय में सभी अधिकारी।
9. सभी उप निदेशक (सतर्कता)/आंचलिक लेखा परीक्षा दल।
10. सभी आ.प्र.स./उप आ.प्र.स.।
11. महासचिव, क.भ.नि. अधिकारी संघ, लुधियाना।

दीपक आर्य
(दीपक आर्य)

क्षे.भ.नि.आ.-II (भर्ती/परीक्षा)